

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक:-एफ-7(4) प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2021/1107 जयपुर, दिनांक :- 14.8.2020


समस्त प्राचार्यगण  
राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान ।

विषय:-स्नातक पार्ट द्वितीय - तृतीय एवं पीजी उत्तराद्ध के विद्यार्थियों की फीस जमा कराने बाबत ।

संदर्भ:-इस कार्यालय का पत्रांक :-एफ-7(4) ऑनलाईन/अकाद/आकाशि/2019-20/1784 जयपुर, दिनांक :- 04 जून 2020 ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि स्नातक पार्ट - द्वितीय, तृतीय एवं पीजी उत्तराद्ध की फीस जमा करवाने हेतु दिनांक 15 जून 2020 से 30 जून 2020 तक खोला गया था, तदपरान्त तथा पत्रांक एफ-7(4) प्रवेश नीति/ अकाद/ आकाशि/ 2020-21/ 1006 दिनांक 30 जून 2020 के द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2020 तक फीस जमा कराने की अवधि को बढ़ाया था ।

कोविड-19 के मध्य नजर विद्यार्थियों की मांग पर विद्यार्थी हित में दिनांक 21 अगस्त 2020 से 31 अगस्त 2020 तक फीस जमा कराने की अवधि में वृद्धि की जाती है एवं इस अवधि में फीस जमा कराने हेतु पोर्टल खोल दिया जायेगा । प्राचार्य इस अवधि में वंचित रहे विद्यार्थियों की फीस जमा करवाना सुनिश्चित करें ।


  
(संदेश नायक IAS)  
निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर ।

क्रमांक:-एफ-7(4) प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2021/1107 जयपुर, दिनांक :- 14.8.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, राज0, जयपुर ।
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर ।
4. वेब प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है ।

  
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)  
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर ।